

Credible Chhattisgarh विश्वविद्यालय छन्तीसगढ़ कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर-चांपा (छ.ग.) (P)

E-Mail ID - zp-janjjgir.cg@nic.in

Phone No. 07817-222996, Fax No. 07817-223548

:: व्याख्याता (पं.) की सीधी भर्ती आदेश जारी होने की प्रकाशन सूचना ::

का. / 10973/जि.पं./शिक्षा/2017

जांजगीर, दिनांक 15/12/2017

पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2017/287/नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 में दिये गये निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा व्याख्याता (पंचायत) सीधी भर्ती 2017 की उपलब्ध कराई गई विषयवार/संकायवार/प्रवर्गवार मेरिटसूची के आधार 1:5 में सत्यापन सूची जारी कर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया गया। सत्यापन पश्चात् अभ्यर्थियों का अनंतिम चयन सूची जारी कर दावा—आपत्ति मंगाया गया। दावा—आपत्ति निराकरण पश्चात् पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश जारी करते हुये दिनांक १६/१२/१७ तक कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। संबंधित को पंजीकृत डाक से आदेश की प्रति उनके निवास पर भेजी जा रही है एवं उन्हे सर्वप्रथम जिला पंचायत में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त आदेश को इस कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले के बेवसाईट WWW.janjjgir-champa.gov.in/zilapanchayat.htm पर देखा जा सकता है।

(अजीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर, दिनांक 15/12/2017

पृ.क्र. / 10974/जि.पं./शिक्षा/2017

प्रतिलिपि :-

- 01 कलेक्टर महोदय जिला जांजगीर चांपा की ओर सूचनार्थ।
- 02 जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक जिला जांजगीर/सक्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 03 उप संचालक, जनसम्पर्क जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 04 सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीजिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ।
- 05 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर को जिला पंचायत के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सी.डी.तथा हार्ड कापी सहित प्रेषित।
- 06 सूचना पटल में चर्चा करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक / १०९५७ / शिक्षा / नियुक्ति / स्था. / जि.प. / २०१७ जांजगीर, दिनांक १३/१२/२०१७

छ.ग. पंचायत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम 2012 (अद्यतन संशोधित) तथा पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक / पंचा / शिक्षा / २०१७ / २८७ / नया रायपुर दिनांक २०.०७.२०१७ में दिये गये निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा व्याख्याता (पंचायत) सीधी भर्ती २०१७ की उपलब्ध कराई गई विषयवार / संकायवार / प्रवर्गवार मेरिटसूची के आधार पर जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक २५.११.२०१७ के अनुसार उपरांत ग्रामीण क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों को व्याख्याता (पंचायत) विषय-अंग्रेजी के पद पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित वेतनमान रु. - ५३००-१५०-८३०० तथा नियमानुसार देय मंहगाई भत्ते पर उनके नाम के समुख दर्शाये गये शाला में अधिरोपित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाती है।

यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य होगी

सं. क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	लिंग	प्रवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदांकन शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अभिषेक ठेठवार	श्री देवेन्द्र ठेठवार	पु.	अनारक्षित	श्री.डी.महंत उपनगर जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. अकलसरा	जैजैपुर
2	श्री योगेश कुमार निर्मलकर	श्री नीलकंठ निर्मलकर	पु	अनारक्षित	म.न. १८ वर्मा पारा दमाईड़ीह पो. दाढ़ी, जिला बेंगतरा	शा.उ.मा.वि. तालदेवरी	बम्हनीड़ीह
3	श्रीमती द्विपती पटेल	श्री तुलसीदास पटेल	म.	अनारक्षित	म.न. २१/१ पटेलपारा सेमीकोट तौसीर, जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि.मडवा	डभरा
4	श्रीमती रश्मि राठौर	श्री अमित कुमार राठौर	म.	अनारक्षित	म.न. ९४ बी.डी.महंत उपनगर वार्ड नं. ०७ सुधीर गली जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि.केरा	नवागढ़
5	भारती शिवारे	स्व.श्री.शिवकुमार शिवारे	म.	अनारक्षित	म.न. ३९ ग्राम पोर्स्ट साकरा तह. पाटन जिला दुर्ग	शा.उ.मा.वि.बिरा	बम्हनीड़ीह
6	श्री टेकचन्द्र साहू	श्री बुधराम साहू	पु	अनारक्षित	दर्दी पारा मु.पो.लवसरा सक्ती जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि.ठठारी	जैजैपुर
7	श्री हिरावन दास	स्व श्री इंदलदास	पु	अनारक्षित	ग्राम बोडसरा पो.बेलादुला तह. जैजैपुर जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. कचंदा	जैजैपुर
8	श्री भारकर मण्डल	श्री निमाईचन्द्र मण्डल	पु	अनारक्षित	वार्ड नं. ६ नया बाराद्वार तह. सक्ती जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. भोथिया	जैजैपुर
9	श्री कमल कुमार मानिकपुरी	श्री गयादास मानिकपुरी	पु	अनारक्षित	ग्राम झलमता पो.भेसों तह.अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.हाईस्कूल उदयभांठा	नवागढ़
10	ललिता कुमारी	श्री छतराम साहू	म.	अनारक्षित	म.न. १७०/१ वार्ड नं. ०४ जैजैपुर जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. ओडेकेरा	जैजैपुर
11	श्री तेजनारायण सिंह चन्द्रा	श्री एन.एस.चन्द्रा	पु.	अनारक्षित	वार्ड नं. ५ आगनबाड़ी पारा मु.पो.तुषार छाया जैजैपुर जिला जांजगीर-चांपा	शा.हाईस्कूल भोथीड़ीह	जैजैपुर

12	कुकविता पटेल	श्री कलपराम पटेल	म.	अनारक्षित	ग्राम पोरस्ट रिसोरा तह.बरमकेला जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि. कटेकोनीखुर्द	डभरा
13	श्री सुरजीत कुमार उपाध्याय	श्री अशोक कुमार उपाध्याय	पु	अनारक्षित	ग्राम + पो.आमनदुला तह. मालखरौदा जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. सारकेला	मालखरौदा
14	श्री मयंक गणी व्यास	श्री लोकनाथ व्यास	पु	अनारक्षित (भू.पू.सै.के विरुद्ध)	ग्रा.पो. नरियरा तह. अकलतरा जिला जाजगीर चापा	शा.उ.मा.वि. आमापाली	जैजैपुर
15	श्री नित्यानंद पुरी गोस्यामी	श्री पुरुषोत्तम पुरी	पु	अनारक्षित (भू.पू.सै.के विरुद्ध)	म.न. 04 ग्राम महादेव पाली पोरस्ट बालपुर तह.डभरा जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. खरकेना	डभरा
16	श्री जागेश्वर पटेल	श्री रामकुमार पटेल	पु	अनारक्षित विक.(अवण बाधित)	म.न. 87 बजरंगपारा ग्राम अमेरी पो.देवगांव तह.बरमकेला जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि. चंदली	डभरा
17	श्री टीकम चन्द्र स्वर्णकार	श्री बोधराम स्वर्णकार	पु	अपिव	डीपापारा गायत्री नगर रजगामार पो.ओमपुर तह.व जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. परसाडीह	जैजैपुर
18	श्रीमती सोनी चन्द्रा	श्री उपेन्द्र प्रकाश चन्द्रा	म.	अपिव	म.न. 19 ग्राम बडेकोट पो. सिंधरा तह.मालखरौदा जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. सिंधरा	मालखरौदा
19	श्रीमती अन्नपूर्णा राठोर	श्री यशपाल सिंह राठोर	म.	अपिव	म.न. 02 प.रविशकर शुक्ल नहर दादर रोड मैरिजन एरिया कोरबा जिला कोरबा	शा.हाईरकूल मलनी	जैजैपुर
20	श्री नीलमणी देवांगन	श्री रामलाल देवांगन	पु	अपिव	मु.पो.उमरेली तह.करतला जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि.दत्तौद	जैजैपुर
21	श्री राजेन्द्र प्रसाद तोडे	श्री देवप्रसाद तोडे	पु	अजा	ग्राम +पो.भदरा व्हाया पामगढ़ जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि.मिस्दा	नवागढ़
22	श्रीमती प्रतिमा चौहान	श्री राकेश चौहान	म.	अजा	रिकी निवास सरला विला के पीछे गली शिव मंदिर के सामने सजय नगर जिला रायगढ़	शा.उ.गा.वि. सलनी	जैजैपुर
23	श्री राजेश कुमार मनहर	श्री महेत्तर मनहर	पु	अजा	मु.पो.बाराद्वाराबस्ती तह सक्ती व्हाया बाराद्वारा जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. किकिरदा	जैजैपुर
24	श्री संतोष कुमार बंजार	श्री आर.एल.बंजारे	पु	अजा	ग्राम पो.नरियरा व्हाया मालखरौदा जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि.पेण्डी	जैजैपुर
25	प्राची खरे	श्री दिलेश खरे	म.	अजा	मु.पो.+तह पामगढ़ जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.गा.वि. किरारी	मालखरौदा
26	श्री रायसिंह बघेल	श्री ज्ञानचंद बघेल	पु	अजा	म.न. 136 वार्ड नं. 14 बाजार पारा बतीदा जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि.धिवरा	जैजैपुर
27	श्री अमर दास कुरु	श्री धर्मिया राम कुरु	पु	अजा (भू.पू.सै.के विरुद्ध)	ग्राम रामभाटा म.न. 143 पो. खोधर थाना तह डभरा जिला जाजगीर चापा	शा.उ.मा.वि. रीवाडीह	जैजैपुर
28	अनिता केरकेटा	श्री सिगन केरकेटा	म.	अजजा	वार्ड नं. 16 झुलकदब विकासखण्ड रायकी जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि.डी. डी.एस बिर्फ	बम्हनीडीह
29	श्रीमती निर्मला कंवर	श्री लक्ष्मीनारायण कंवर	म.	अजजा	मु.पो.नगरदा तह.सक्ती जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. केरीबंधा	सक्ती

अधिरोपित शर्तें :-

01. यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों (यथा जाति, अंकसूची, प्रशिक्षण, एवं निःशक्ताता आदि) पर आधारित है, जो उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र वैध न होकर झूठा (असत्य) है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड सहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही (Criminal Proceedings) की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों-विनियमों

शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर भी किसी भी रत्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी यह प्राविधिक नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

02. व्याख्याता (पंचायत) के पद पर चयनित प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए 02 वर्ष की परीविक्षा पर नियुक्त रहेंगे, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) के कार्य का आंकलन किया जावेगा। 02 वर्ष के पश्चात् व्याख्याता (पंचायत) को उनके कार्य आचरण तथा कार्यपालन के आधार पर पंचायत के नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा। यदि व्याख्याता (पंचायत) का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उसे और 01 या 02 वर्ष के लिए परीविक्षा पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यदि कार्य पुनः समाधानप्रद नहीं पाया गया तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। व्याख्याता (पंचायत) को परीविक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता देय होगा। परीविक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश उभयपक्ष को पालनीय होंगे।
 03. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पं.) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में परिशिष्ट के साथ संलग्न टीप 2 (क) में “यदि व्याख्याता (पं.) के पद पर नियुक्ति के लिये बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी न हो, तो ऐसे मामले में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी” प्रावधानित है। अतः जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नॉन बी.एड से हुई है। उनको नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बी.एड. पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपाधि प्राप्त करना होगा। समय-सीमा में बी.एड की अर्हता प्राप्त नहीं करने की दशा में संबंधित की सेवा स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
 04. आरक्षित प्रवर्ग के चयनित अभ्यर्थी जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर या जिला स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही नियमितिकरण के पात्र होंगे।
 05. ऐसे व्याख्याता (पंचायत) जो स्थायी सेवा में न हो, सेवायें या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति अधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने की दायित्वाधीन होगी।
 06. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 5 (दो) के तहत अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित मामले में न तो किसी तरह की हड्डताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।
 07. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) ऊपर वर्णित शर्तों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1999 के तहत अनुशासित होंगे।
 08. नियुक्त किये गये व्याख्याता (पंचायत) को सर्वप्रथम जिला पंचायत जांजगीर-चांपा कार्यालय में अपना उपस्थिति देना होगा। तत्पश्चात् विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों को अवलोकन कराकर निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि कार्यालयीन उपयोग हेतु जमा करना होगा। साथ ही सेवा पुस्तिका की 02 प्रति भी जमा करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (अ) हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री की अंकसूची, स्नातक तथा स्नातकोत्तर अंकसूची, व्यापम द्वारा जारी परिणाम की प्रमाणित प्रति।
- (ब) व्यवसायिक योग्यता (प्रशिक्षण) संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)
- (स) अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि किसी विभाग में कर्मचारी हो तो नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र)
- (द) जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र (जो आवश्यक हो)
- (इ) जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया भैषजिक प्रमाण-पत्र मूल में (15 दिवस के भीतर)
- (ई) निःशक्त उम्मीदवारों को संभागीय मेडिकल बोर्ड बिलासपुर के समक्ष उपस्थित होकर मेडिकल प्रमाण पत्र की जाँच करानी होगी। वैध घोषित किये जाने के बाद ही यह नियुक्ति मान्य होगी।

09. संबंधित को दिनांक 26/12/17 तक उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही/औपचारिकता पूर्ण करते हुए अनिवार्य रूप से पदांकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अजीत वसंत) L.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

पृष्ठा. क्रमांक/ 10960 /शिक्षा/नियुक्ति/स्था./जि.प./2017 जांजगीर, दिनांक ३ /12/2017
प्रतिलिपि :-

- 01 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02 आयुक्त, संचालनालय पंचायत कलेक्ट्रेट परिसर पुराना डी.आर.डी.ए. भवन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
03 पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
04 कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05 जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
06 जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा/सक्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
07 जिला रोजगार अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08 उप संचालक जनसम्पर्क जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
09 जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10 जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण कराकर सेवा पुरितिका ०२ प्रतियों में तैयार कराकर हस्ताक्षरित करें और जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ जिला पंचायत में कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन सहपत्र दस्तावेज सहित जमा करें।
13 प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./शा.हाई स्कूल जनपद पंचायत
जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14 संबंधित श्री/श्रीमती.....

.....को पालनार्थ अग्रेषित। नियुक्त पद पर दिनांक 26/12/17 तक उपरिथित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक / १०८६१ / शिक्षा / नियुक्ति / स्था. / जि.पं. / २०१७ जांजगीर, दिनांक १९/१२/२०१७

छ.ग. पंचायत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 (अद्यतन संशोधित) तथा पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2017/287/नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 में दिये गये निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा व्याख्याता (पंचायत) सीधी भर्ती 2017 की उपलब्ध कराई गई विषयवार/संकायवार/प्रवर्गवार मेरिट्सूची के आधार पर जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के अनुमोदन उपरांत ग्रामीण क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों को व्याख्याता (पंचायत) विषय— गणित के पद पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित वेतनमान रु. – ५३००-१५०-८३०० तथा नियमानुसार देय मंहगाई भत्ते पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये शाला में अधिरोपित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाती है।

यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य होगी

संक्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	प्रवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदांकन शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सोहन लाल कुर्ँ	श्री ओलीराम कुर्ँ	पु	अनारक्षित	ग्राम पांफगुराम व्हाया अडमार तह मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. किरारी	मालखरौदा
2	श्री आरिफ खान	श्री बरसीर खान	पु	अनारक्षित	ग्राम सेन्दुरस पां.आमनदुला तह. जैजपुर जिला जांजगीर-चांपा	शा.हाईस्कूल मुरलीडीह	जैजपुर
3	रश्मि सिंह	श्री बांके सिंह	म	अनारक्षित	जावाहरपारा अकलतरा रा.कु. सिंह.उ.मा.वि. के पीछे वार्ड क ०६ जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. देवरी(सारागांव)	बम्हनीडीह
4	श्री भूपेन्द्र कुमार साहू	श्री मालिक राम साहू	पु	अनारक्षित	ग्राम पिहरीद व्हाया मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. रीवाडीह	जैजपुर
5	श्री शिव कुमार साहू	श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू	पु	अनारक्षित	सिंचाई कॉलोनी अकलतरा मु. पो.थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.हाईस्कूल नवगांव	बलौदा
6	भूमिका चन्द्राकर	श्री गजाधर प्रसाद चन्द्राकर	म	अनारक्षित	म.नं. १८८ वार्ड न. ०७ ग्राम पोस्ट अचौद तह.गुण्डरदही जिला बलौदा	शा.हाईस्कूल गतवा	बलौदा
7	ईश्वरी प्रसाद खुटे	श्री दुखुराम खुटे	पु	अनारक्षित	ग्राम + पोस्ट भट्टली तह. नवागढ़ व्हाया शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. धाराशिव (रो)	नवागढ़
8	श्री विक्रात कुमार साहू	श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू	पु	अनारक्षित	दिप्ती विहार कॉलोनी जांजगीर म.नं. २० वार्ड नं. १८ जिला जांजगीर-चांपा	शा.हाईस्कूल हथनेवरा	बम्हनीडीह
9	श्री पवन कुमार देवांगन	श्री ईश्वर लाल देवांगन	पु	अनारक्षित	ग्राम मेहदी पो.बुद्देला तह. पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा	शा.हाईस्कूल बिलारी	पामगढ़
10	श्री मनोज कुमार कश्यप	स्व. श्री बन्तुलाल कश्यप	पु	अनारक्षित	मु.पो.पण्डी तह.। जिला जांजगीर-चांपा	शा.हाईस्कूल कपिरदा	बम्हनीडीह
11	प्रीति क्षत्रीय	स्व.श्री परसराम क्षत्रीय	म	अनारक्षित	स्व. / ओ.कार्ड्स गैलरी प्रताप टॉकीज के पास विलासपुर	शा.हाईस्कूल. सोंठी	बम्हनीडीह
12	समृति पटेल	श्री सुनील कुमार पटेल	म	अनारक्षित	ग्राम ढिमानी पो.बंदोरा तह. मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि.खैरा	सकती

13	श्री राजेन्द्र कुमार रजवाड	श्री शम्भूलाल रजवाड	पु.	अनारक्षित (भू-पूर्सी के विरुद्ध)	मु.पो.पिरदा ल्हाया हरदीबाजार कटघोरा जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. चोरिया	बम्हनीडीह
14	श्री महेन्द्र कुमार पटेल	श्री धरमलाल पटेल	पु.	अनारक्षित विक (आरेश बाधित)	म-112 नहर कॉलोनी अकलतरा तह अकलतरा जिला जांजगीर-चापा	शा.हाईस्कूल हिर्सी	पामगढ़
15	श्री रामकुमार सोनी	श्री देवी प्रसाद सोनी	पु.	अपिव	मु.पो.बलौदा सोनारपारा म-नं 05 वार्ड क. 09 जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. बम्हनीडीह	बम्हनीडीह
16	श्री बुद्धेश्वर प्रसाद गबेल	श्री कंबल किशोर गबेल	पु.	अपिव	ग्राम सकरी पो.आ.सकरी तह. मालखरौदा जिला जांजगीर-चापा	शा.हाईस्कूल खर्सी	मालखरौदा
17	गायत्री पटेल	श्री ईश्वर लाल पटेल	म.	अपिव	ग्राम नवापारा पो.आ.गडवा तह. डमरा जिला जांजगीर-चापा	शा.क.उ.मा.वि. कोटभी	डमरा
18	बिन्दु	श्री महेश कुमार	म.	अपिव विक.(अवृण बाधित)	लाल खदान रखे गेट के पारा बिलासपुर	शा.हाईस्कूल करमा	बलौदा
19	श्री डमरुधार रौतिया	श्री गनोहर रौतिया	पु.	अजा	मु.पो.+तोषगाय तह.सराईपाली थाना वसना जिला महासगुद	शा.उ.गा.वि. आमापाली	जैजैपुर
20	श्री हेम कुमार सुमन	श्री मुनीराम सुगन	पु.	अजा	मु.पो.सन्दरी (पुटेकला) तह. सकती जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. झरना	बम्हनीडीह
21	रुपाली लता	श्री नथराम	म	अजा	मु.मुक्ता पो.जैजैपुर जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.गा.वि. किकिरदा	जैजैपुर
22	अंजू भारते	श्री वेदराम भारते	म.	अजा	अम्बेडकर चौक वार्ड न. 15, 139 रहसेडा अकलतरा पो.आ अकलतरा जिला जांजगीर-चापा	शा.हाईस्कूल पोडीकला	बम्हनीडीह
23	श्री सूरज प्रकाश पाटले	श्री भागीरथी	पु.	अजा	ग्राम +पो.खैजा तह.बलौदा जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. बुडगहन	बलौदा
24	श्री भगवती प्रसाद बजार	श्री राग प्रसाद बंजारे	पु.	अजा (भू-पूर्सी के विरुद्ध)	मु.पो.डोगाकोहरीदा ल्हाया पामगढ़ जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. शिलादेही	बम्हनीडीह
25	श्री राजेश्वर सिंह रिदार	श्री भोलाराम सिदार	पु.	अजजा	राजेश्वर रिह रिदार शुकुल पारा खरौद पामगढ़ जिला जांजगीर-चापा	शा.हाईस्कूल फरसवानी	डमरा
26	श्री राजकुमार उराव	श्री गजालाल उराव	पु.	अजजा (अप्रशिक्षित)	हरदीडीह पो.आ.कंचदा तह. जैजैपुर जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. खजुरानी	जैजैपुर
27	कुकुर्ती कुजूर	श्री सुखसाय कुजूर	म.	अजजा (अप्रशिक्षित)	नया जगतपुर (दिमरापुर) वार्ड न 04 पो.जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि.कांसा	डमरा


अधिरोपित शर्तें :-

- यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों (यथा जाति, अंकसूची, प्रशिक्षण, एवं निःशक्तता आदि) पर आधारित है, जो उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र वैध न होकर झूठा (असत्य) है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड सहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही (Criminal Proceedings) की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों-विनियमों शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर भी किरी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी यह प्राविधिक नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- व्याख्याता (पंचायत) के पद पर चयनित प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए 02 वर्ष की परीविक्षा पर नियुक्त रहेंगे, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) के कार्य का आंकलन किया जावेगा। 02 वर्ष के पश्चात् व्याख्याता (पंचायत) को उनके कार्य आचरण तथा कार्यपालन के आधार पर पंचायत के नियमित बेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा। यदि व्याख्याता (पंचायत) का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया

जाता है तो उसे और 01 या 02 वर्ष के लिए परीविक्षा पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यदि कार्य पुनः समाधानप्रद नहीं पाया गया तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। व्याख्याता (पंचायत) को परीविक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता देय होगा। परीविक्षा अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। शासन द्वारा समय—समय पर जारी आदेश/निर्देश उभयपक्ष को पालनीय होंगे।

03. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पं.) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम, 2012 में परिशिष्ट के साथ संलग्न टीप 2 (क) में "यदि व्याख्याता (पं.) के पद पर नियुक्ति के लिये बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी न हो, तो ऐसे मामले में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी" प्रावधानित है। अतः जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नॉन बी.एड से हुई है। उनको नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बी.एड. पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपाधि प्राप्त करना होगा। समय—सीमा में बी.एड की अर्हता प्राप्त नहीं करने की दशा में संबंधित की सेवा स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
04. आरक्षित प्रवर्ग के चयनित अभ्यर्थी जाति प्रमाण—पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर या जिला स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही नियमितिकरण के पात्र होंगे।
05. ऐसे व्याख्याता (पंचायत) जो स्थायी सेवा में न हो, सेवायें या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति अधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) का लिखित में एक माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने की दायित्वाधीन होगी।
06. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 5 (दो) के तहत अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित मामले में न तो किसी तरह की हड्डताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।
07. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) ऊपर वर्णित शर्तों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1999 के तहत अनुशासित होंगे।
08. नियुक्त किये गये व्याख्याता (पंचायत) को सर्वप्रथम जिला पंचायत जांजगीर—चांपा कार्यालय में अपना उपस्थिति देना होगा। तत्पश्चात् विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर अपने समर्त मूल प्रमाण—पत्रों को अवलोकन कराकर निम्नांकित प्रमाण—पत्रों की अभिप्राप्ति सत्यप्रतिलिपि कार्यालयीन उपयोग हेतु जमा करना होगा। साथ ही सेवा पुस्तिका की 02 प्रति भी जमा करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (अ) हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री की अंकसूची, स्नातक तथा स्नातकोत्तर अंकसूची, व्यापम द्वारा जारी परिणाम की प्रमाणित प्रति।
- (ब) व्यवसायिक योग्यता (प्रशिक्षण) संबंधी प्रमाण—पत्र (यदि हो तो)
- (स) अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि किसी विभाग में कर्मचारी हो तो नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाण—पत्र)
- (द) जाति एवं निवास प्रमाण—पत्र (जो आवश्यक हो)
- (इ) जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया भैषजिक प्रमाण—पत्र मूल में (15 दिवस के भीतर)
- (ई) निःशक्त उम्मीदवारों को संभागीय मेडिकल बोर्ड विलासपुर के समक्ष उपस्थित होकर मेडिकल प्रमाण पत्र की जाँच करानी होगी। वैध घोषित किये जाने के बाद ही यह नियुक्ति मान्य होगी।
09. संबंधित को दिनांक ~~26/12/14~~ तक उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही/औपचारिकता पूर्ण करते हुए अनिवार्य रूप से पदांकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(अजीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जांजगीर—चांपा (छ.ग.)

पृष्ठा. क्रमांक / 10962 / शिक्षा / नियुक्ति / स्था. / जि.पं. / 2017 जांजगीर, दिनांक 13 / 12 / 2017
प्रतिलिपि :-

- 01 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, संचालनालय पंचायत कलेकट्रेट परिसर पुराना डी.आर.डी.ए. भवन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 04 कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 06 जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा/सकती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 07 जिला रोजगार अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 08 उप संचालक जनसम्पर्क जिला जांजगीर चापा को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 09 जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र जिला जांजगीर चापा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10 जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 12 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण कराकर सेवा पुरितका 02 प्रतियों में तैयार कराकर हस्ताक्षरित करें और जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ जिला पंचायत में कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन सहपत्र दस्तावेज सहित जमा करें।
- 13 प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./शा.हाई स्कूल जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 14 संबंधित श्री/ श्रीमती.....

.....को पालनार्थ अग्रेषित। नियुक्त पद पर दिनांक 13/12/17 तक उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक / 10963 / शिक्षा / नियुक्ति / स्था. / जि.पं. / 2017 जांजगीर, दिनांक 13/12/2017

छ.ग. पंचायत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 (अद्यतन संशोधित) तथा पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2017/287/नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 में दिये गये निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा व्याख्याता (पंचायत) सीधी भर्ती 2017 की उपलब्ध कराई गई विषयवार/संकायवार/प्रवर्गवार मेरिटसूची के आधार पर जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के अनुमोदन उपरांत ग्रामीण क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों को व्याख्याता (पंचायत) विषय-भौतिक के पद पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित वेतनमान रु. - 5300-150-8300 तथा नियमानुसार देय मंहगाई भत्ते पर उनके नाम के समुख दर्शाये गये शाला में अधिरोपित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाती है।

यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य होगी

सं. क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	प्रवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदांकन शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री मनोज कुमार निमेलकर	श्री नारायण प्रसाद निमेलकर	पु.	अनारक्षित	एस/ओ. श्री नारायण प्रसाद निमेलकर ग्राम कल्याणपुर पो.आ. काटमीसानार जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि.कुरमा	बलौदा
2	श्री पार्वती साहू	श्री गनहरण लाल साहू	म	अनारक्षित	ग्राम मरसीकापा पो.करगीखुर्द क्षाया करगीरोड कोटा जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. कटनई	अकलतरा
3	श्री बालकराम यादव	श्री श्यामलाल यादव	पु	अनारक्षित	ग्राम बीरामा पो.+तह मालखरौदा जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. चाटीपाली	मालखरौदा
4	डॉली	श्री रामकुमार पाण्डेय	म	अनारक्षित	ग्राम + पो.तिलकेजा जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. बरपाली कला	सकती
5	डिम्पल पटेल	लकेश्वर प्रसाद पटेल	म	अनारक्षित (भू.पू.रै.के दिरुस्त)	मु.पो+तह मरसुरी जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. अमोरा	अकलतरा
6	श्री गिरेश कुमार देवांगन	श्री गुरेलाल देवांगन	पु	अपिव	मु.पो.खरौद नगर तह.पामगढ़ शुकुलपारा जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. लौहर्सी	पामगढ़
7	गृगीकन देवांगन	श्री श्याम लाल देवांगन	म	अपिव	वार्ड नं. 02 देवांगन मुहल्ला बुचीहरदी बलौदा जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि.हरदी	अकलतरा
8	दीपारानी लाठिया	श्री दीकाराम लाठिया	म	अज्ञा	मु.पो ठठारी रकूल गुहल्ला तह. जैजैपुर जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. आमापाली	जैजैपुर
9	श्री जितेन्द्र सतनामी	श्री गशपती	पु	अज्ञा (अप्रशिक्षित)	ग्राम गिर्दा विकासखण्ड नवागढ़ पो.सेमरा जिला जांजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि.महंत	नवागढ़

अधिरोपित शर्तें :-

- यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों (यथा जाति, अंकसूची, प्रशिक्षण, एवं निःशक्तता आदि) पर आधारित है, जो उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र वैध न होकर झूटा (असत्य) है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त कर दी जावेगी, तथा

झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड सहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही (Criminal Proceedings) की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों-विनियमों शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर भी किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी यह प्राविधिक नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

02. व्याख्याता (पंचायत) के पद पर वयनित प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में रकूल विशेष के लिए 02 वर्ष की परीविक्षा पर नियुक्त रहेंगे, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) के कार्य का अंकलन किया जावेगा। 02 वर्ष के पश्चात् व्याख्याता (पंचायत) को उनके कार्य आचरण तथा कार्यपालन के आधार पर पंचायत के नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा। यदि व्याख्याता (पंचायत) का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उसे और 01 या 02 वर्ष के लिए परीविक्षा पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यदि कार्य पुनः समाधानप्रद नहीं पाया गया तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। व्याख्याता (पंचायत) को परीविक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर शासन द्वारा खींकूत मंहगाई भत्ता देय होगा। परीविक्षा अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश उभयपक्ष को पालनीय होंगे।
 03. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पं.) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में परिशिष्ट के साथ संलग्न टीप 2 (क) में “यदि व्याख्याता (पं.) के पद पर नियुक्ति के लिये बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी न हो, तो ऐसे मामले में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी” प्रावधानित है। अतः जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नॉन बी.एड से हुई है। उनको नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपाधि प्राप्त करना होगा। समय-सीमा में बी.एड की अर्हता प्राप्त नहीं करने की दशा में संबंधित की सेवा स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
 04. आरक्षित प्रवर्ग के चयनित अभ्यर्थी जाति प्रमाण-पत्र उच्च रत्नीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर या जिला स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही नियमितिकरण के पात्र होंगे।
 05. ऐसे व्याख्याता (पंचायत) जो स्थायी सेवा में न हो, सेवायें या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति अधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जान की दायित्वाधीन होगी।
 06. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 5 (दो) के तहत अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित मामले में न तो किसी तरह की हड्डताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।
 07. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) ऊपर वर्णित शर्तों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1999 के तहत अनुशासित होंगे।
 08. नियुक्त किये गये व्याख्याता (पंचायत) को सर्वप्रथम जिला पंचायत जांजगीर-चांपा कार्यालय में अपना उपस्थिति देना होगा। तत्पश्चात् विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों को अवलोकन कराकर निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि कार्यालयीन उपयोग हेतु जमा करना होगा। साथ ही सेवा पुरितका की 02 प्रति भी जमा करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (अ) हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री की अंकसूची, स्नातक तथा स्नातकोत्तर अंकसूची, व्यापम द्वारा जारी परिणाम की प्रमाणित प्रति।
- (ब) व्यवसायिक योग्यता (प्रशिक्षण) संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)
- (रा) अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि किसी विभाग में कर्मचारी हो तो नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र)
- (द) जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र (जो आवश्यक हो)
- (इ) जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया भैषजिक प्रमाण-पत्र मूल में (15 दिवस के भीतर)

- (ई) निःशक्त उम्मीदवारों को सभागीय मेडिकल बोर्ड बिलासपुर के समक्ष उपस्थित होकर मेडिकल प्रमाण पत्र की जाँच करानी होगी। वैध घोषित किये जाने के बाद ही यह नियुक्ति मान्य होगी।
09. संबंधित को दिनांक १५/१२/१७ तक उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही/औपचारिकता पूर्ण करते हुए अनिवार्य रूप से पदाकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अजीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

पृष्ठा. क्रमांक / 10964 / शिक्षा / नियुक्ति / स्था. / जि.प. / 2017 जांजगीर, दिनांक ३ / १२ / २०१७
प्रतिलिपि :-

- 01 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, संचालनालय पंचायत कलेक्टर परिसर पुराना डी.आर.डी.ए. भवन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 04 कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 06 जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा/सक्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 07 जिला रोजगार अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 08 उप संचालक जनसम्पर्क जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 09 जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10 जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 12 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण कराकर सेवा पुस्तिका 02 प्रतियों में तैयार कराकर हस्ताक्षरित करें और जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ जिला पंचायत में कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन सहपत्र दस्तावेज सहित जमा करें।
- 13 प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./शा.हाई स्कूल जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 14 संबंधित श्री/श्रीमती.....

..... को पालनार्थ अग्रेषित। नियुक्त पद पर दिनांक १५/१२/१७ तक उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक / १०९६५ / शिक्षा / नियुक्ति / स्था. / जि.पं. / २०१७ जांजगीर, दिनांक १३ / १२ / २०१७

छ.ग. पंचायत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम 2012 (अद्यतन संशोधित) तथा पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2017/287/नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 में दिये गये निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा व्याख्याता (पंचायत) सीधी भर्ती 2017 की उपलब्ध कराई गई विषयवार/सकायवार/प्रवर्गवार मेरिटसूची के आधार पर जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के अनुमोदन उपरांत ग्रामीण क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों को व्याख्याता (पंचायत) विषय- रसायन के पद पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित रोतनमान रु. - 5300-150-8300 तथा नियमानुसार देय मंहगाई भत्ते पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये शाला में अधिरोपित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाती है।

यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य होगी

संक्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	प्रवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदांकन शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती अर्धना साहू	श्री गावधन साहू	म.	अनारक्षित	अर्धना साहू डी.ई श्री जी डी साहू थाना रोड अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. लवसरा	सक्ती
2	मंजूलता साहू	गोपाल प्रसाद साहू	म.	अनारक्षित	ए - १६५५ कावरी विहार एन टी.पी.सी. कोरबा जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. मुडपार (चु)	पामगढ़
3	श्री तालेश्वर वैष्णव	श्री धनश्याम दास वैष्णव	पु	अनारक्षित	ग्राम + मु.पो.धुरकोट जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. चोरिया	बम्हनीडीह
4	श्री विजय कुमार जाटायार	श्री धिंसाहुराम	पु	अनारक्षित	म.न. ०४ बोकरामुडा पो.कारबी धतुरा जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. खजुरानी	जैजैपुर
5	श्री बसंत कुमार	श्री श्रवणलाल	पु	अनारक्षित	मु.पो.+तह.मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. सारसकेला	मालखरौदा
6	श्री गंगा सागर कैर्यर्थ	श्री बोधनराम कैर्यर्थ	पु	अनारक्षित (भू.पू.सी.के विरुद्ध)	वट सावित्री चौक डमरा वाड नं. १० मु.पो.थाना + तह डमरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.गा.वि.कुरदा	मालखरौदा
7	अंजूलता राठौर	श्री यशवंत कुमार राठौर	म.	अपिव	म.न. ३० डी / ०२ सी.एस.इ.वी. कॉलोनी कोरबा पूर्व जिला कोरबा	शा.उ.गा.वि. बड़मुडपार	मालखरौदा
8	उगा पटेल	श्री राकेश कुमार पटेल	म.	अपिव	मु.पो.सोपोस तह.डमरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि.खोंधर	डमरा
9	रश्मि कुमारी खुरुस	श्री धनश्याम खुरुस	म.	अजा	मुक्ता राजा वाराद्वारा तह सक्ती जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. रीवाडीह	जैजैपुर
10	श्री विजेन्द्र सिंह राज	श्री परदेशी राम राज	पु	अजा	मु.पो.अडमार वाड नं. ०८ म.न. ५०३ तह व थाना गालखरौदा	शा.उ.मा.वि. पिहरीद	गालखरौदा
11	श्री राकेश	श्री चिन्तामणी	पु	अजा	मु.धमनी पो.आ नरिया तह जैजैपुर छाया मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. छीतापड़रिया	जैजैपुर
12	श्री कर्म सिंह सिंदार	श्री सुकलाल सिंदार	पु	अजजा	ग्राम फलियामुडा पौस्त जावली तह.डमरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. रालनी	जैजैपुर

अधिरोपित शर्तें :-

01. यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों (यथा जाति, अंकसूची, प्रशिक्षण, एवं निःशक्तता आदि) पर आधारित है, जो उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र वैध न होकर झूठा (असत्य) है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा प्रगाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड सहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही (Criminal Proceedings) की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों-विनियमों शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर भी किसी भी रूपरूप पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी यह प्राविधिक नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
02. व्याख्याता (पंचायत) के पद पर चयनित प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए 02 वर्ष की परीविक्षा पर नियुक्त रहेंगे, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) के कार्य का आंकलन किया जावेगा। 02 वर्ष के पश्चात् व्याख्याता (पंचायत) को उनके कार्य आचरण तथा कार्यपालन के आधार पर पंचायत के नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा। यदि व्याख्याता (पंचायत) का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उसे और 01 या 02 वर्ष के लिए परीविक्षा पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यदि कार्य पुनः समाधानप्रद नहीं पाया गया तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। व्याख्याता (पंचायत) को परीविक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता देय होगा। परीविक्षा अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश उभयपक्ष को पालनीय होंगे।
03. छत्तीसगढ़ शिक्षक (प.) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में परिशिष्ट के साथ संलग्न टीप 2 (क) में “यदि व्याख्याता (प.) के पद पर नियुक्ति के लिये बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी न हो, तो ऐसे मामले में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी” प्रावधानित है। अतः जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नॉन बी.एड से हुई है। उनको नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बी.एड. पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपाधि प्राप्त करना होगा। समय-सीमा में बी.एड की अर्हता प्राप्त नहीं करने की दशा में संबंधित की सेवा स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
04. आरक्षित प्रवर्ग के चयनित अभ्यर्थी जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर या जिला रतरीय छानबीन समिति से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही नियमितिकरण के पात्र होंगे।
05. ऐसे व्याख्याता (पंचायत) जो रथायी सेवा में न हो, सेवायें या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति अधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह की सूचना देकर या एक गाह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने की दायित्वाधीन होगी।
06. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 5 (दो) के तहत अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित मामले में न तो किसी तरह की हड्डताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।
07. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) ऊपर वर्णित शर्तों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा रोवा की सामान्य शर्तें) नियम 1999 के तहत अनुशासित होंगे।
08. नियुक्ति किये गये व्याख्याता (पंचायत) को सर्वप्रथम जिला पंचायत जांजगीर-चांपा कार्यालय में अपना उपस्थिति देना होगा। तत्पश्चात् विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर अपने समरत मूल प्रमाण-पत्रों को अवलोकन कराकर निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि कार्यालयीन उपयोग हेतु जमा करना होगा। साथ ही सेवा पुस्तिका की 02 प्रति भी जमा करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

- (अ) हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री की अंकसूची, स्नातक तथा स्नातकोत्तर अंकसूची, व्यापम द्वारा जारी परिणाम की प्रमाणित प्रति।
- (ब) व्यवसायिक योग्यता (प्रशिक्षण) संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)
- (स) अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि किसी विभाग में कर्मचारी हों तो नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र)
- (द) जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र (जो आवश्यक हो)
- (इ) जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया भैषजिक प्रमाण-पत्र मूल में (15 दिवस के भीतर)
- (ई) निःशक्त उम्मीदवारों को संभागीय मेडिकल बोर्ड बिलासपुर के समक्ष उपस्थित होकर मेडिकल प्रमाण पत्र की जाँच करानी होगी। वैध घोषित किये जाने के बाद ही यह नियुक्ति मान्य होगी।
09. संबंधित को दिनांक 22.12.17 तक उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही/औपचारिकता पूर्ण करते हुए अनिवार्य रूप से पदांकित विद्यालय गें कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अजीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

पुष्टा. क्रमांक / 10966

/शिक्षा/नियुक्ति/स्था./जि.पं./2017

जांजगीर, दिनांक 13 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :-

- 01 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 02 आयुक्त, संचालनालय पंचायत कलेकट्रेट परिसर पुराना डी.आर.डी.ए. भवन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 03 पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 04 कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 05 जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 06 जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा/सक्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 07 जिला रोजगार अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 08 उप संचालक जनसम्पर्क जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
 - 09 जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 10 जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 11 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 12 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण कराकर सेवा पुरितका 02 प्रतियों में तैयार कराकर हस्ताक्षरित करें और जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ जिला पंचायत में कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन सहपत्र दस्तावेज सहित जमा करें।
 - 13 प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./शा.हाई स्कूल जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 14 संबंधित श्री/ श्रीमती.....
- को पालनार्थ अग्रेषित। नियुक्त पद पर दिनांक 26.12.17 तक उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Credible Chhattisgarh कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर-चांपा (छ.ग.) (U)

E-Mail ID - zp-janjjgir.cg@nic.in

Phone No. 07817-222996, Fax No. 07817-223548

:: आदेश ::

क्रमांक / 10967 / शिक्षा / नियुक्ति / स्था. / जि.पं. / 2017 जांजगीर, दिनांक 13 / 12 / 2017

छ.ग. पंचायत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 (अद्यतन संशोधित) तथा पंचायत रांचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक / पंचा / शिक्षा / 2017 / 287 / नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 में दिये गये निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा व्याख्याता (पंचायत) सीधी भर्ती 2017 की उपलब्ध कराई गई विषयवार / संकायवार / प्रवर्गवार मेरिटसूची के आधार पर जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के अनुसार उपरांत ग्रामीण क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों को व्याख्याता (पंचायत) विषय- जीवविज्ञान के पद पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित वैतनमान रु. - 5300-150-8300 तथा नियमानुसार देय मंहगाई भत्ते पर उनके नाम के सम्बुद्ध दर्शाये गये शाला में अधिरोपित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाती है।

यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य होगी

संक्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	प्रवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदांकन शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री प्रगोद कुमार यादव	श्री बरातुराम यादव	पु	अनारक्षित	ग्राम नवगांव पो.पहिरया जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. भाथिया	जैजैपुर
2	श्री हितेश कुमार	श्री बद्देश्वर प्रसाद	पु	अनारक्षित	ग्राम पतरापाली पो.रामपुर तह करतला जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि.पेण्डी	जैजैपुर
3	ममता जायरवाल	श्री जी.आर. जायरवाल	म	अनारक्षित	म.न.एम- 6/8 विकासनगर कुसमुण्डा पो.कुसमुण्डा तह काटघोरा जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. नरियरा	मालखरीदा
4	श्री ऋषि कुमार सिंह चंद्रल	श्री गोपेश्वर सिंह चंद्रल	पु	अनारक्षित	ग्राम पो.रिस्ता तह मस्तुरी जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. अकलसरा	जैजैपुर
5	निशा तिवारी	श्री प्रकाश नाथ तिवारी	म	अनारक्षित	म.न. 148 वार्ड नं. 2 पोडीभाटा अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.हाईरकूल नवगांव	बलौदा
6	श्री सुनीता कुमारी चन्द्रा	श्री तिहारुलाल चन्द्रा	म	अनारक्षित	ग्राम भातमाहूल पो.पिरदा व्याया नालखरीदा तह जैजैपुर जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. परसाडीह	जैजैपुर
7	श्रीमती प्रतिभा राठौर	श्री रामनरेश राठौर	म	अनारक्षित (मू.पू.सं.के विरुद्ध)	शकर विहार कौशिक भवन वार्ड नं. 17 लिंक राड जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा	शा.हाईरकूल गतवा	बलौदा
8	श्रीकात राठौर	श्री हरीष कुमार राठौर	पु	अपिव	सी/ओ श्री महारथी राठौर वार्ड नं. 08 रमन नगर जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि.डी. ही.एस विरा	बम्हनीडीह
9	मिनाक्षी सिंह	श्री हृलयश्वर सिंह	म	अपिव	सी/ओ हृलयश्वर सिंह वार्ड नं. 01 वार्ड नं. 01 हनुमान मंदिर के सामने पोडीभाटा अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि.विरा	बम्हनीडीह
10	श्री दीपक चौहान	श्री पिलसाय चौहान	पु	अजा	मुमजपुर पो.किरारी ड तह डमरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. किकिरदा	जैजैपुर
11	श्री यशवंत कुमार	श्री तिरथराम	पु	अजा	मु.पो.रसोटा विकासखण्ड बलौदा तह+थाना बलौदा जिला जांजगीर-चांपा	शा.हाईरकूल मर्दा	जैजैपुर
12	मन्जूलता माहशवरी	श्री नरसिंह माहेश्वरी	म	अजा	अग्रसेन नगर सेक्टर 01 बधवा तालाब के पास रायपुर जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. बड़ेरीपत	मालखरीदा

13	श्री श्याम सुन्दर बिंजवार	श्री सुखुराम बिंजवार	पृ.	अजजा	ग्राम करमदा पो पहरिया विकासखण्ड+तहरील बलौंदा जिला जांजगीर-चापा	शा.हाईस्पॉल कपिसद।	बहनीडीह
----	------------------------------	----------------------	-----	------	--	-----------------------	---------

अधिरोपित शर्तें :—

01. यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों (यथा जाति, अंकसूची, प्रशिक्षण, एवं निःशक्तता आदि) पर आधारित है, जो उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र वैध न होकर झूठा (असत्य) है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही (Criminal Proceedings) की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों-विनियमों शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर भी किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी यह प्राविधिक नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
02. व्याख्याता (पंचायत) के पद पर चयनित प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए 02 वर्ष की परीविक्षा पर नियुक्त रहेंगे, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) के कार्य का आंकलन किया जावेगा। 02 वर्ष के पश्चात् व्याख्याता (पंचायत) को उनके कार्य आचरण तथा कार्यपालन के आधार पर पंचायत के नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा। यदि व्याख्याता (पंचायत) का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उसे और 01 या 02 वर्ष के लिए परीविक्षा पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यदि कार्य पुनः समाधानप्रद नहीं पाया गया तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। व्याख्याता (पंचायत) को परीविक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर शासन द्वारा रवीकृत मंहगाई भत्ता देय होगा। परीविक्षा अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश उभयपक्ष को पालनीय होंगे।
03. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पं.) संघर्ष (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में परिशिष्ट के साथ संलग्न टीप 2 (क) में “यदि व्याख्याता (पं.) के पद पर नियुक्ति के लिये बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी न हो, तो ऐसे मामले में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी” प्रावधानित है। अतः जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नॉन बी.एड से हुई है। उनको नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपाधि प्राप्त करना होगा। समय-सीमा में बी.एड की अहंता प्राप्त नहीं करने की दशा में संबंधित की सेवा स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
04. आरक्षित प्रवर्ग के चयनित अभ्यर्थी जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संरक्षण रायपुर या जिला स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही नियमितिकरण के पात्र होंगे।
05. ऐसे व्याख्याता (पंचायत) जो स्थायी सेवा में न हो, सेवायें या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति अधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने की दायित्वाधीन होगी।
06. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 5 (दो) के तहत अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित मामले में न तो किसी तरह की हड्डताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।
07. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) ऊपर वर्णित शर्तें के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1999 के तहत अनुशासित होंगे।
08. नियुक्त किये गये व्याख्याता (पंचायत) को सर्वप्रथम जिला पंचायत जांजगीर-चांपा कार्यालय में अपना उपस्थिति देना होगा। तत्पश्चात् विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों को अवलोकन कराकर निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की

अभिप्रामाणित सत्यप्रतिलिपि कार्यालयीन उपयोग हेतु जमा करना होगा। साथ ही सेवा पुस्तिका की 02 प्रति भी जमा करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

- (अ) हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री की अंकरूची, स्नातक तथा स्नातकोत्तर अंकसूची, व्यापम द्वारा जारी परिणाम की प्रमाणित प्रति।
(ब) व्यवसायिक योग्यता (प्रशिक्षण) संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)
(स) अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि किसी विभाग में कर्मचारी हो तो नियुक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र)
(द) जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र (जो आवश्यक हो)
(इ) जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया भैषजिक प्रमाण-पत्र मूल में (15 दिवस के भीतर)
(ई) नि.शक्त उम्मीदवारों को संभागीय मेडिकल बोर्ड बिलासपुर के समक्ष उपस्थित होकर मेडिकल प्रमाण पत्र की जाँच करानी होगी। वैध घोषित किये जाने के बाद ही यह नियुक्ति मान्य होगी।
09. संबंधित को दिनांक ~~30/12/2017~~ तक उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही/औपचारिकता पूर्ण करते हुए अनिवार्य रूप से पदांकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अजीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

पृष्ठा. क्रमांक / 10968 / शिक्षा/नियुक्ति/स्था./जि.पं./2017 जांजगीर, दिनांक 13 / 12 / 2017
प्रतिलिपि :-

- 01 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02 आयुक्त, संचालनालय पंचायत कलेकट्रेट परिसर पुराना डी.आर.डी.ए. भवन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
03 पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
04 कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05 जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
06 जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा/सक्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
07 जिला रोजगार अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08 उप संचालक जनसम्पर्क जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
09 जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10 जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण कराकर सेवा पुस्तिका 02 प्रतियों में तैयार कराकर हस्ताक्षरित करें और जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ जिला पंचायत में कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन सहपत्र दस्तावेज सहित जमा करें।
13 प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./शा.हाई स्कूल जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14 संबंधित श्री/श्रीमती.....

...को पालनार्थ अग्रेषित। नियुक्त पद पर दिनांक ~~30/12/2017~~ तक उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक / 10869 / शिक्षा / नियुक्ति / स्था. / जि.प. / 2017 जांजगीर, दिनांक 13/12/2017

छ.ग. पंचायत शिक्षक (पंचायत) सर्वांग (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम 2012 (अद्यतन संशोधित) तथा पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक / पंचा / शिक्षा / 2017 / 287 / नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 में दिये गये निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा व्याख्याता (पंचायत) सीधी भर्ती 2017 की उपलब्ध कराई गई विषयवार / संकायवार / प्रवर्गवार मेरिटसूची के आधार पर जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा के सामान्य प्रशासन रामिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के अनुसार उपरांत ग्रामीण क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों को व्याख्याता (पंचायत) विषय-वाणिज्य के पद पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित वेतनमान रु. - 5300-150-8300 तथा नियमानुसार देय मंहगाई भत्ते पर उनके नाम के समुख दर्शाये गये शाला में अधिरोपित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाती है।

यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य होगी

संक्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	प्रवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदांकन शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1	किरण	स्व. हिमावत चन्द्रवंशी	म.	अनारक्षित	हॉटल इन्टरसिटी के सामने जगमल चौक बिलासपुर	शा.उ.मा.वि.भेसों	पामगढ़
2	श्री प्रकाश रवणकार	श्री रविशंकर रवणकार	पु.	अनारक्षित	शीतलछाया लॉज गली महारानी लक्ष्मीबाई काम्पलेक्स के पास तारगढ़ जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि. चुरतोली	डभरा
3	श्री संतोष कुमार	श्री रूप रिहाँ गबेल	पु.	अनारक्षित	म.न 636 आदर्श नगर कुरामुण्डा पो.आ कुरामुण्डा जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. कडारी	बम्हनीडीह
4	श्री विश्वनाथ पटेल	श्री दुख्याम पटेल	पु.	अनारक्षित	ग्राम छावरीपाली पो.आ किरारी (ड) थाना तह.डभरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि.रेडा	डभरा
5	श्री उमेश सोनी	श्री ओम प्रकाश सोनी	पु.	अनारक्षित	मु.पो नैला वार्ड क.05 महाराजा अंगेसेन मार्ग नैला जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि.महंत	नवागढ़
6	श्री जयदीप अग्रवाल	श्रीराम अग्रवाल	पु.	अनारक्षित	म.न 15 रानी सागर पारा वार्ड न. 09 म.न. 15 सक्ती जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. वरपालीकला	सक्ती
7	रखा यादव	स्व. श्री भरतलाल यादव	म	अनारक्षित	विनोबा नगर गायत्री मंदिर रोड जलाराम मिक्वर भण्डार के पीछे बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. तेन्दुभांठा	नवागढ़
8	कुरुषा पटेल	श्री नरेश कुमार पटेल	म	अनारक्षित	ग्राम खण्नी लिमतरा पो.दर्शीघाट तह मस्तुरी जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि.बिर्सा	बम्हनीडीह
9	कुमूजा तिवारी	स्व. श्री सच्चिदानन्द तिवारी	म.	अनारक्षित	पो.डल्ल्यू लौ.कॉलोनी राह.भाठा कटघोरा जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. विरगहानी च	बलौदा
10	श्रीमती नजमा बानो	गाहम्मद अनिस सिद्दीकी	म.	अनारक्षित	मधुकर पारा दुर्गा मंदिर के पास रायगढ़	शा.उ.मा.वि. देवरघटा	डभरा
11	श्री उमाशक्तर पटेल	श्री ललित पटेल	पु.	अनारक्षित	ग्राम धोरसी पो.अमलडीहा तह.डभरा जिला जांजगीर-चांपा	शा.उ.मा.वि. चंदली	डभरा
12	कुरुईश्वरी	श्री सुभाष	म	अनारक्षित	मु.पो दीपका एम.डी.395 दीपका कॉलोनी गेवरा जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि.सेमरा	नवागढ़

13	श्री गोपाल दास मानिकपुरी	श्री गोविन्ददास मानिकपुरी	पु	अनारक्षित	लक्ष्मीपुर दशरथ वाच दुकानवाली गली रायगढ़ सी.एच.366,367 कोहका हाऊसिंग बोर्ड सुपेला भिलाई नगर जिला दुर्ग	शा.उ.मा.वि. बड़ेमुडपार	मालखरौदा
14	श्रीमती हरजीत कौर	श्री इन्द्रजीत सिंह	म	अनारक्षित	ग्राम जिवे पो.जीरतराई तह. करुद जिला धमतरी	शा.उ.मा.वि. धाराशिव रो	नवागढ़
15	श्री हितेश कुमार	श्री माहनलाल	पु	अनारक्षित	वार्ड नं. पुरानीबरस्ती गोपियापारा पो.अकलतरा जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. अगोरा	नवागढ़
16	श्री तिलोचन देवागन	श्री सुखचैन देवागन	पु	अनारक्षित (भू.पूर्णी के विरुद्ध)	अकबर वाडे के सामने जुनी लाईन बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. तनौद	पामगढ़
17	श्रीमती सकीना खातून	श्री ईगरान खान	म	अनारक्षित (भू.पूर्णी के विरुद्ध)	ग्राम रसेडा पोस्ट अर्जुनी व्हाया अकलतरा जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. लोहर्सी	पामगढ़
18	श्री मनोज कुमार साहू	श्याम नारायण साहू	पु	अनारक्षित (भू.पूर्णी के विरुद्ध)	मु.बालीमाल पो.पुसल्वा तह.पुसौर जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि. सरवानी	बम्हनीडीह
19	श्री धनुर्जय पटेल	श्री जगलाल पटेल	पु	अनारक्षित विक.(श्रवण बाधित)	म.न.एफ 459 री एस ई.बी. कालीनी दर्दा कोरबा पश्चिम जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि.हसौद	जैजैपुर
20	गौरी यादव	श्री प्रमोद कुमार यादव	म	अपिव	मु.पो.बाधालोला व्हाया पुसौर जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि.करमा	बलौदा
21	श्री भूवन चन्द्र पटेल	श्री परगानन्द पटेल	पु	अपिव	मु.पो.बाधालोला व्हाया पुसौर जिला रायगढ़	शा.उ.गा.वि. खजुरानी	जैजैपुर
22	श्री रवि प्रसाद देवागन	श्री प्रहलाद देवागन	पु	अपिव	मनरोड नवधा चौक वार्ड क्र. 12 सकती जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि. नगरदा	सकती
23	ओमेश	श्री कीर्तेश्वर लाल	म	अपिव	म.न.४ एफ सड़क 10 सेक्टर ५ भिलाई नगर जिला दुर्ग	शा.उ.मा.वि. मुडपार चु	पामगढ़
24	एवन्ती पटेल	श्री घनश्याम पटेल	म.	अपिव (भू.पूर्णी के विरुद्ध)	मु.पो.धनागर जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि. सलगी	जैजैपुर
25	लुदिया चौहान	श्री सुन्दरलाल चौहान	म	अजा	वार्ड क्रमांक ०६ सहसपुर पो.तह. सारगढ़ जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि.पेण्डो	जैजैपुर
26	कु.कामिनी कौशल	स्व. श्री भागचन्द्र मिरी	म	अजा	म.न.३५५ ट्रांसफार्मर के पिछे इदरा नगर जमनीपाली कोरबा	शा.उ.मा.वि. बम्हनीडीह	बम्हनीडीह
27	आरती कुमारी	श्री दिलेश्वर कुमार केशी	म	अजा	ग्राम धमनी पो.नरियरा तह. जैजैपुर जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.मा.वि.क. हरौद	जैजैपुर
28	श्री खिलेश कुमार भारद्वाज	श्री गुरुदयाल भारद्वाज	पु	अजा	ग्राम औरदा तह.खरसिया जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि.कुरदा	मालखरौदा
29	चित्ररंधा	श्री शौलेश गनवीर	म	अजा	अम्बेडकर चौक गरियाबद वार्ड क १० जिला गरियाबद	शा.उ.गा.वि. भडेसर	नवागढ़
30	पुनीता	श्री कृष्णराम ठहरिया	म.	अजा	मु.पो.पिहरीद तह+थाना मालखरौदा जिला जाजगीर-चापा	शा.उ.गा.वि. पिहरीद	मालखरौदा
31	पिंकी खट्टले	श्री सावन दस खट्टले	म.	अजा	अध्योध्या नगर लिक रोड नं. २ बिलासपुर जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. सलखन	नवागढ़
32	कु.स्वरंत्रता रात्रे	श्री.बी.बी.रात्रे	म.	अजा। (भू.पूर्णी के विरुद्ध)	वार्ड नं. ४० म.न.२५२ / १४०२ नेहरू नगर बालको जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. सिलादेही	बम्हनीडीह
33	कु.आंकिता डाहिरे	श्री डालचन्द डाहिरे	म	अजा। विक.(दृष्टि बाधित)	आजाद नगर बड़ेरिया रोड तखतपुर जिला बिलासपुर	शा.उ.गा.वि. कटाई	अकलतरा
34	कु.प्रमिला रिह मरावी	श्री रघुवीर रिह	म	अज्जना	म.न. एम ६७८ आदर्श नगर कुराकुण्डा पो.कुरामुण्डा जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि.डी. डी.एस.बिरा	बम्हनीडीह
35	शालिनी खाखा	श्री जाजी खाखा	म	अज्जना	गुरु धासीदास मंदिर के पास तारबहार डीपू पारा बिलासपुर	शा.उ.मा.वि.केरा	नवागढ़
36	प्रेणिता मिज	पंकासियुस मिज	म	अज्जना	म.न. एन.ई ७४ सी.एस ई.बी. कॉलीनी कोरबा पूर्व जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. किरीत	नवागढ़

अधिरोपित शर्तें :-

01. यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों (यथा जाति, अंकसूची, प्रशिक्षण, एवं निःशक्तता आदि) पर आधारित है, जो उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र वैध न होकर झूठा (असत्य) है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही (Criminal Proceedings) की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों-विनियमों शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकुल पाये जाने पर भी किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी यह प्राविधिक नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
02. व्याख्याता (पंचायत) के पद पर चयनित प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए 02 वर्ष की परीविक्षा पर नियुक्त रहेंगे, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) के कार्य का आकलन किया जावेगा। 02 वर्ष के पश्चात् व्याख्याता (पंचायत) को उनके कार्य आचरण तथा कार्यपालन के आधार पर पंचायत के नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा। यदि व्याख्याता (पंचायत) का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उस ओर 01 या 02 वर्ष के लिए परीविक्षा पर बन रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यदि कार्य पुनः समाधानप्रद नहीं पाया गया तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। व्याख्याता (पंचायत) को परीविक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर शासन द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता देय होगा। परीविक्षा अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश उभयपक्ष को पालनीय होंगे।
03. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पं.) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में परिशिष्ट के साथ संलग्न टीप 2 (क) में "यदि व्याख्याता (पं.) के पद पर नियुक्ति के लिये बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी न हो, तो ऐसे मामले में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी" प्रावधानित है। अतः जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नॉन बी.एड से हुई है। उनको नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपाधि प्राप्त करना होगा। समय-सीमा में बी.एड की अहता प्राप्त नहीं करने की दशा में संबंधित की सेवा स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
04. आरक्षित प्रवर्ग के चयनित अभ्यर्थी जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर या जिला स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही नियमितिकरण के पात्र होंगे।
05. ऐसे व्याख्याता (पंचायत) जो स्थायी सेवा में न हो, सेवायें या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति अधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय रामाप्त की जाने की दायित्वाधीन होगी।
06. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 5 (दो) के तहत अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित मामले में न तो किसी तरह की हड्डताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।
07. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) ऊपर वर्णित शर्तों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1999 के तहत अनुशासित होंगे।
08. नियुक्त किये गये व्याख्याता (पंचायत) को सर्वप्रथम जिला पंचायत जांजगीर-चांपा कार्यालय में अपना उपस्थिति देना होगा। तत्पश्चात् विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर अपने समरत मूल प्रमाण-पत्रों को अवलोकन कराकर निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की

- अभिप्रामाणित सत्यप्रतिलिपि कार्यालयीन उपयोग हेतु जमा करना होगा। साथ ही सेवा पुस्तिका की 02 प्रति भी जमा करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (अ) हाई रकूल/हायर सेकेन्डरी की अंकसूची, स्नातक तथा स्नातकोत्तर अंकसूची, व्यापम द्वारा जारी परिणाम की प्रमाणित प्रति।
- (ब) व्यवसायिक योग्यता (प्रशिक्षण) संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)
- (स) अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि किसी विभाग में कर्मचारी हो तो नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र)
- (द) जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र (जो आवश्यक हो)
- (इ) जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया भैषजिक प्रमाण-पत्र मूल में (15 दिवस के भीतर)
- (ई) निःशक्त उम्मीदवारों को रामागीय मेडिकल बोर्ड बिलासपुर के समक्ष उपस्थित होकर मेडिकल प्रमाण पत्र की जाँच करानी होगी। वैध घोषित किये जाने के बाद ही यह नियुक्ति मान्य होगी।
09. संबंधित को दिनांक ~~20/12/2017~~ तक उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही/ औपचारिकता पूर्ण करते हुए अनिवार्य रूप से पदांकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वयमेव निररत माना जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अजीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

पृष्ठा. क्रमांक /

/शिक्षा/नियुक्ति/स्था./जि.पं./2017

जांजगीर, दिनांक १३

/12/2017

प्रतिलिपि :-

- 01 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, संचालनालय पंचायत कलेक्टर परिसर पुराना डी.आर.डी.ए. भवन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 04 कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 06 जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा/सक्ती को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 07 जिला रोजगार अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 08 उप सचालक जनसम्पर्क जिला जांजगीर चापा को सूचनार्थ एवं रथानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 09 जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र जिला जांजगीर चापा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10 जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 12 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण कराकर सेवा पुस्तिका 02 प्रतियों में तैयार कराकर हस्ताक्षरित करें और जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ जिला पंचायत में कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन सहपत्र दस्तावेज सहित जमा करें।
- 13 प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./शा.हाई स्कूल जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 14 संबंधित श्री/ श्रीमती.....

...को पालनार्थ अग्रेषित। नियुक्त पद पर दिनांक २५/१२/१८ तक उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक / १०७१ / शिक्षा / नियुक्ति / स्था. / जि.प. / २०१७

जांजगीर, दिनांक १३ / १२ / २०१७

छ.ग. पंचायत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 (अद्यतन संशोधित) तथा पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक / पंचा / शिक्षा / २०१७ / २८७ / नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 में दिये गये निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा व्याख्याता (पंचायत) सीधी भर्ती 2017 की उपलब्ध कराई गई विषयवार / संकायवार / प्रवर्गवार मेरिटसूची के आधार पर जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के अनुमोदन उपरांत ग्रामीण क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों को व्याख्याता (पंचायत) विषय- भूगोल के पद पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित वेतनमान रु. - 5300--150-8300 तथा नियमानुसार देय मंहगाई भत्ते पर उनके नाम के समुख दर्शाये गये शाला में अधिरोपित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाती है।

यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य होगी

सं. क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	लिंग	प्रवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदांकन शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री राम कुमार पटेल	श्री गोपीराम पटेल	पु	अनारक्षित	राताखार मानस वौक जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि.बिरा	बम्हनीडीह
2	मंदाकिनी कुमारी चन्द्रा	श्री शिवराज रिंह चन्द्रा	म.	अनारक्षित	ग.न. 1031 वार्ड नं. 15 डबल स्टोरी भटगांव तह. भैयाथान जिला सूरजपुर	शा.उ.मा.वि. ओडकेरा	जैजैपुर
3	अर्वना डग्सेना	श्री शुकदेव प्रसाद डग्सेना	म.	अपिव	ग्राम पो+तह तमनार जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि. मालखरौदा	मालखरौदा
4	श्री गिरिवर सिंह टण्डन	श्री सेवकराम टण्डन	पु	अ.जा.वि.क. (श्रवण बाधित)	ए 62 नेचररिटी सकरी बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. तगौद	पामगढ़

अधिरोपित शर्तेः—

- यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों (यथा जाति, अंकसूची, प्रशिक्षण, एवं निःशक्तता आदि) पर आधारित है, जो उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र वैध न होकर झूठा (असत्य) है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड सहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही (Criminal Proceedings) की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों-विनियमों शासन के आदेश/निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर भी किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी यह प्राविधिक नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- व्याख्याता (पंचायत) के पद पर चयनित प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए 02 वर्ष की परीक्षा पर नियुक्त रहेंगे, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) के कार्य का आंकलन किया जावेगा। 02 वर्ष के पश्चात् व्याख्याता (पंचायत) को उनके कार्य आचरण तथा कार्यपालन के आधार पर पंचायत के नियमित

- वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा। यदि व्याख्याता (पंचायत) का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उसे और 01 या 02 वर्ष के लिए परीविक्षा पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यदि कार्य पुनः समाधानप्रद नहीं पाया गया तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। व्याख्याता (पंचायत) को परीविक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता देय होगा। परीविक्षा अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश उभयपक्ष को पालनीय होंगे।
03. छत्तीसगढ़ शिक्षक (प.) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में परिशिष्ट के साथ संलग्न टीप 2 (क) में “यदि व्याख्याता (प.) के पद पर नियुक्ति के लिये बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी न हो, तो ऐसे मामले में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी” प्रावधानित है। अतः जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नॉन बी.एड से हुई है। उनको नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपाधि प्राप्त करना होगा। समय-सीमा में बी.एड की अर्हता प्राप्त नहीं करने की दशा में संबंधित की सेवा स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
 04. आरक्षित प्रवर्ग के चयनित अभ्यर्थी जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर या जिला स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही नियमितिकरण के पात्र होंगे।
 05. ऐसे व्याख्याता (पंचायत) जो स्थायी सेवा में न हो, सेवायें या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राप्तिकारी को या नियुक्ति अधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने की दायित्वाधीन होगी।
 06. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 5 (दो) के तहत अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित मामले में न तो किसी तरह की हड्डताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।
 07. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) ऊपर वर्णित शर्तों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1999 के तहत अनुशासित होंगे।
 08. नियुक्त किये गये व्याख्याता (पंचायत) को सर्वप्रथम जिला पंचायत जाजीगीर-चांपा कार्यालय में अपना उपस्थिति देना होगा। तत्पश्चात् विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कार्यालय में उपरिथित होकर अपने समरत मूल प्रमाण-पत्रों को अवलोकन कराकर निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की अभिप्राप्तित सत्यप्रतिलिपि कार्यालयीन उपयोग हेतु जमा करना होगा। साथ ही सेवा पुस्तिका की 02 प्रति भी जमा करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
 - (अ) हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री की अंकसूची, स्नातक तथा स्नातकोत्तर अंकसूची, व्यापम द्वारा जारी परिणाम की प्रमाणित प्रति।
 - (ब) व्यवसायिक योग्यता (प्रशिक्षण) संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)
 - (रा) अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि किसी विभाग में कर्मचारी हो तो नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र)
 - (द) जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र (जो आवश्यक हो)
 - (इ) जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया भैषजिक प्रमाण-पत्र मूल में (15 दिवस के भीतर)
 - (ई) निःशक्त उम्मीदवारों को सभागीय मेडिकल बोर्ड बिलासपुर के समक्ष उपरिथित होकर मेडिकल प्रमाण पत्र की जाँच करानी होगी। वैध घोषित किये जाने के बाद ही यह नियुक्ति मान्य होगी।
 09. संबंधित को दिनांक २८/१२/२०१७ तक उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही/औपचारिकता पूर्ण करते हुए अनिवार्य रूप से पदाकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अजीत वसंत) I.A.S
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जाजीगीर-चाम्पा (छ.ग.)

10972

पृष्ठा. क्रमांक / शिक्षा / नियुक्ति / स्था. / जि.पं. / 2017 जांजगीर, दिनांक १३ / १२ / २०१७
प्रतिलिपि :-

- 01 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 आयुक्त, सचालनालय पंचायत कलेक्टर परिसर पुराना डी.आर.डी.ए. भवन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 पंचायत सचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 04 कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 06 जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा/सकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 07 जिला रोजगार अधिकारी, जिला जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 08 उप संचालक जनसम्पर्क जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 09 जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10 जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 12 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण कराकर सेवा पुस्तिका 02 प्रतियों में तैयार कराकर हस्ताक्षरित करें और जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ जिला पंचायत में कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन सहपत्र दरतावेज राहित जमा करें।
- 13 प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./शा.हाई स्कूल जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 14 संबंधित श्री/ श्रीमती.....

.....को पालनार्थ अग्रेषित। नियुक्त पद पर दिनांक तक उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)